न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 2, ब्यावर,
जिला अजमेर।

दीवानी विविध प्रार्थना पत्र सं. 04/2024

श्रीमती सुगनी देवी व अन्य बनाम लालचंद

दिनांक 15.07.2024

वकील पक्षकारान उपस्थित।

अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 जा.दी. पेश किया गया। नकल दिलाई गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने जवाब हेतु अवसर चाहा, जो न्यायहित में दिया गया।

दोनों पक्षों के अधिवक्तागण वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु सहमत है।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। दोनों पक्षों की सहमति को देखते हुए प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने तक दोनों पक्षों को पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त सम्पत्ति की मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति को बनाए रखें और वादग्रस्त सम्पत्ति किसी भी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित, अंतरित इत्यादि न करे।

पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र में दिनांक 09.09.2024 को पेश हो।